राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड

संयोजक: बैंक ऑफ इण्डिया

पत्रांक संख्या : रा॰ स्त॰ बै॰ स॰ / 2021-22/533 दिनांक : 29.03.2022

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय / महोदया,

विषय:- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 78 वीं त्रैमासिक (दिसम्बर 2021) समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

कृपया दिनांक 11.03.2022 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 78वी॰ त्रैमासिक बैठक का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त बैठक की कार्यवृत्त एवं कृत कार्यवाही रिपोर्ट आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न किया जा रहा है,साथ ही हम आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि संलग्न कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड की वेबसाइट (www.slbcjharkhand.org) पर भी उपलब्ध कराया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इनका समावेशन किया जा सके।

भवदीय,

उप महाप्रबंधक

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड

संगलन:- उपरोक्त अनुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक: 11.03.2022
स्थान– होटल बीएनआर चाणक्य

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 78 वीं त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत

Minutes of the 78th Quarterly Meeting of SLBC, Jharkhand

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 78वीं त्रैमासिक बैठक दिनांक 11.03.2022 को होटल बीएनआर चाणक्य , राँची के सभागार में आयोजित की गई। भारतीय रिजर्व बैंक, रांची क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक श्री संजीव सिन्हा ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार के सचिव, श्री अबूबक्कर सिद्दीकी, वित्त विभाग-झारखंड सरकार से विशेष सचिव, श्रीमती दीप्ती जयराज, एसएलबीसी झारखंड के संयोजक बैंक **"बैंक ऑफ इंडिया"** के महाप्रबंधक श्री बिक्रम केशरी मिश्र, एसएलबीसी के उपमहाप्रबंधक श्री सुबोध कुमार, नाबार्ड राँची क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबन्धक श्री सुब्रत कुमार नन्दा, वित्त विभाग-झारखंड सरकार से संयुक्त सचिव, श्री संदीप लकड़ा, भारतीय रिजर्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक महाप्रबन्धक श्री रिचर्ड आलोक एक्का उंपस्थित थे। इसके अतिरिक्त यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री बिनोद कुमार पट्टनायक एवं अन्य सभी बैंकों के वरिष्ठ प्रतिनिधि तथा सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं राज्य सरकार के अन्य विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित थे।

सर्वप्रथम महाप्रबंधक एसएलबीसी, श्री बिक्रम केशरी मिश्र ने बैठक में उपस्थित सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं बैंकों के दिसम्बर तिमाही के प्रदर्शन,अन्य नीतिगत मुद्दे एवं प्रमुख कदमों की पर चर्चा के लिए अन्य वक्ताओ को आमंत्रित किया।

इसके अतिरिक्त उन्होने सभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों, बैंक प्रमुखों एवं राज्य सरकार को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करने और पिछली तिमाही के दौरान विभिन्न मानकों के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने में एसएलबीसी को निरंतर समर्थन देने के लिए धन्यवाद किया।

इस सम्बोधन के पश्चात एसएलबीसी के उपमहाप्रबंधक श्री सुबोध कुमार को सभा को संबोधित करने हेतु आग्रह किया गया। उन्होने सभा को जानकारी दी कि राज्य के विकास में विशेष रूप से वित्तीय समावेशन और राज्य / केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं की दिशा में झारखंड राज्य के सभी बैंकों द्वारा किया गया कार्य महत्वपूर्ण और सराहनीय रहा है।

श्री कुमार ने विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों के समक्ष कृत कार्यवाही हेतु ध्यान केन्द्रित किया:-

क्रम संख्या	मुद्दे	कृत कार्यवाही
01	कृषि और एमएसएमई अग्रिम के क्षेत्र में बैंकों को कार्य करने की काफी संभावनाए हैं, जिससे राज्य का ऋण-जमा अनुपात मे आवश्यक वृद्धि हो सके।	समस्त बैंक/अग्रणी ज़िला प्रबन्धक

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखण्ड BOI

02	एसएलबीसी द्वारा वित्तीय समावेशन और ऋण संतृप्ति (Credit Saturation) के लिए बैंक शाखाओं द्वारा "प्रति ब्लॉक एक गांव गोद लेने" नामक अभियान की शुरुआत की गयी। इसके अंतर्गत, पहले चरण के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के ग्यारह बैंकों द्वारा राज्य के सभी प्रखंडों से 264 गांवों को विभिन्न बुनियादी बैंकिंग सुविधाओं यथा वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और क्रेडिट संतृप्ति (Credit Saturation) के तहत 100% Saturate करने हेतु चयन किया गया है। इसके तहत सभी संबन्धित बैंकों को 31 मार्च, 2022 तक अपने गोद लिए गए गांवों में पूर्ण संतृप्ति (Total Saturation) के लक्ष्य को प्राप्त करना है।	समस्त चिन्हित बैंक
03	अन्य सदस्य बैंकों से अपील किया गया कि अप्रैल,22 तक कम से कम एक गांव को गोद लें एवं वित्तीय एवं ऋण समावेशन हेतु ग्रामीण शाखाओं के साथ चिन्हित गावों को जोड़े।	समस्त बैंक/अग्रणी ज़िला प्रबन्धक
04	बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ तथा एसएलबीसी झारखंड के अध्यक्ष श्री अतनु कुमार दास द्वारा 77वीं एसएलबीसी की बैठक में एक विशेष अभियान "मिशन दस कदम" की घोषणा की गयी थी, जिसके तहत बैंकों के प्रदर्शन में सुधार के लिए एवं CD Ratio में व्यापक वृद्धि के लिए दस विशिष्ट योजनाओं की पहचान की गई थी। कुछ प्रमुख योजनाओं के तहत बैंकों द्वारा इस तिमाही मे अच्छा प्रदर्शन किया गया। हालांकि, स्टैंड अप इंडिया और एग्री इंफ्रा फंड में सदस्य बैंको को आवश्यक ध्यान देने की आवश्यकता है।	समस्त बैंक/अग्रणी ज़िला प्रबन्धक
05	श्री कुमार ने बैंकों में एनपीए की बढ़ती प्रवृत्ति के संदर्भ में खराब ऋण खताओ की वसूली में राज्य सरकार से मजबूत समर्थन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। साथ ही साथ SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत संपत्तियों के भौतिक कब्जे के लिए डीसी के पास लंबित मामलों एवं नीलामी प्रमाण-पत्र अधिकारियों के पास पड़े मामलों पर सक्रिय ध्यान देने की जरूरत बताई।	राज्य सरकार
06	श्री कुमार ने सभा को जानकारी दी कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा 78वी. तिमाही की बैठक से SLBC की पुस्तिका मे ज़रूरी परिवर्तन कर राज्य से संबन्धित विभिन्न योजनावों की जानकारी पुस्तिका मे संकलित की गयी है। उप महाप्रबंधक ने सभी हितधारको को आगामी त्रैमासिक बैठक से पूर्व पुस्तिका की गुणवत्ता मे सुधार हेतु सुझाव आमंत्रित किए हैं।	सभी संबन्धित हित धारक

इस सम्बोधन के पश्चात नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री सुब्रत कुमार नन्दा को सभा को संबोधित करने हेतु आग्रह किया गया। श्री नन्दा ने सर्वप्रथम सभी उच्च पदाधिकारियों एवं सहभागियों का अभिवादन किया। तत्पश्चात उन्होने राज्य में नाबार्ड के विचारों को सभा के समक्ष रखा।

क्रम संख्या	मुद्दे/विषय	कृत कार्यवाही
01	नाबार्ड द्वारा राज्य को वर्ष 2021-22 मे ₹18,000 करोड़ ऋण दिया गया है, जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण, सिंचाई, पुल निर्माण आदि	समस्त बैंक/अग्रणी ज़िला प्रबन्धक

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BOI झारखण्ड

	Social Infrastructure Projects में किया गया है। बैंकों को इन प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य के विकास मे सहभागी बनने की आवश्यकता पर बल दिया।	
02	नाबार्ड द्वारा राज्य के वर्षा सिंचित क्षेत्र में 40 वॉटर शेड प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से 30,000 हेक्टर भूमि को कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा। इससे बैंकों को ऋण प्रदान करने के मौके मिलेंगे।	समस्त बैंक/अग्रणी ज़िला प्रबन्धक
03	राज्य के आदिवासी क्षेत्र के 35 हज़ार परिवारों को लाभ पहुँचाने के लिए नाबार्ड द्वारा शुरू किए जा रहे 30 वाड़ी प्रोजेक्ट्स की जानकारी सभा को दी। इससे बैंकों को ऋण प्रदान करने के अवसर मिलेंगे।	समस्त बैंक/अग्रणी ज़िला प्रबन्धक
04	नाबार्ड के द्वारा राज्य मे 200 FPOs को प्रोमोट किया जा रहा है, जिसमे माध्यम से 40,000 किसान जुड़े है। इन FPOs को राज्य सरकार द्वारा धान खरीद के लिए अधिकृत किया गया है। इन FPOs को Working Capital एवं Term Loan की जरूरत होती है एवं नाबार्ड द्वारा इन 200 FPOs में से 100 FPOs की रेटिंग A एवं B वर्ग में है। उन्होने बैंकों से आग्रह किया कि इनकी ऋण संबंधी जरूरतों के लिए आगे आयें एवं इस सैक्टर मे बैंकों के लिए भी अपने कृषि वित्त को आगे बढ़ाने का अच्छा अवसर है।	समस्त बैंक/अग्रणी ज़िला प्रबन्धक
05	उन्होने नाबार्ड द्वारा आगामी अप्रैल महीने बैंक-अधिकारियों के Exposure Visit कराने की बात कही।	नाबार्ड
06	नाबार्ड NRLM-SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम को भी प्रोमोट करता है। इसके अंतर्गत नाबार्ड एसएचजी सदस्यों के स्किल डेव्लपमेंट के लिए LEDP एवं MEDP प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।	समस्त बैंक/एलडीएम
07	नाबार्ड बैंक के माध्यम से एफ़एलसी प्रोग्राम के लिए VLP के लिए फ़ंड देता है। उन्होने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे इस योजना का लाभ लें।	समस्त बैंक/एलडीएम
08	नाबार्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए स्किल डेव्लपमेंट कार्यक्रम चलाता है। नाबार्ड कुछ कॉर्पोरेट के साथ मिलकर सीएसआर के तहत यह कार्यक्रम स्वीकृत करता है। इन युवाओ के रोजगार सृजन हेतु ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता है।	समस्त बैंक/एलडीएम

इस सम्बोधन के पश्चात आरबीआई के महाप्रबंधक श्री संजीव सिन्हा से सभा को संबोधित करने हेतु आग्रह किया गया। उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं सहभागियों का अभिवादन किया एवं निम्न बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

क्रम संख्या	मुद्दे/विषय	कृत कार्यवाही
01	रिजर्व बैंक द्वारा धोखेबाजों (Fraudsters) द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य तौर-तरीकों और विभिन्न वित्तीय लेनदेन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर जारी एक पुस्तिका, "BE(A)WARE" की जानकारी दी।	समस्त बैंक/एलडीएम

	पुस्तिका का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और अन्य वित्तीय लेन-देन करते समय भोले-भाले ग्राहकों के साथ किए गए विभिन्न प्रकार के वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। महाप्रबंधक ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वे अपनी ग्रामीण शाखाओं द्वारा आयोजित FLC शिविरों में पुस्तिका का उपयोग करें तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाए।	
02	भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2022 को जारी स्पष्टीकरण (Clerification) के आलोक मे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा पर दिनांक 25 जून, 2021 को जारी परिपत्र के Para-3 के संशोधन के अनुसार " दिनांक 30 जून, 2020 तक प्राप्त मौजूदा एमएसएमई के उद्यमी ज्ञापन भाग II (Entrepreneurs Memorandum Part II) और उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) दिनांक 31 मार्च, 2022 तक वैध रहने की जानकारी महाप्रबंधक के द्वारा दी गयी। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया कि दिनांक 30 जून, 2020 तक एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए प्रासंगिक भारत सरकार/आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त दस्तावेजों की वैधता भी 31 मार्च, 2022 तक ही वैध है।अतः उन्होने बैंकों से इन स्पष्टीकरणों पर ध्यान देने की बात कही।	समस्त बैंक/एलडीएम
03	भारतीय रिजर्व बैंक के आंतरिक कार्य समूह (Internal Working Group) ने कृषि क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। आरबीआई की आंतरिक कार्य समूह (Internal Working Group) की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा संरचनात्मक और नीतिगत सुधार शामिल थे। श्री सिन्हा ने राज्य सरकार को इन सिफारिशों को अध्ययन कर एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने की बात कही।	समस्त बैंक/एलडीएम
04	श्री सिन्हा ने जानकारी दी कि भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय ने एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह पर एक अध्ययन किया गया है, जिसमें पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा खोले गए नए एमएसएमई खातों और इन बैंकों द्वारा एमएसएमई को किए गए ऋण-वितरण का विश्लेषण किया गया है। उन्होने एसएलबीसी को बैंकों के साथ परामर्श कर एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह पर उक्त अध्ययन के निष्कर्षों पर चर्चा करने की बात कही और एमएसएमई की नई इकाइयों को ऑन-बोर्डिंग करने एवं ऋण प्रवाह में सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी।	समस्त बैंक/एलडीएम
05	अग्रणी बैंक योजना (Lead Bank Scheme) के मौजूदा ढांचे के अनुसार, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति (DCC) और जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) कार्य करती हैं। DLRC की बैठकों में जनप्रतिनिधि (सांसद/विधायक/जिला परिषद प्रमुख आदि) भाग लेते हैं। इन बैठकों का उद्देश्य मुख्य रूप से सभी हितधारकों के साथ जिला स्तरीय ऋण योजनाओं (District Level Credit Plans) की समीक्षा करने और योग्य क्षेत्रों को ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक समाधान तैयार करने में सुविधा प्रदान करना है।	समस्त बैंक/एलडीएम

	श्री सिन्हा ने बताया कि DLRC की बैठकों को DCC की बैठकों के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे DLRC उद्देश्य कमजोर हो जाता है। हितधारकों से प्राप्त जानकारी (Feedback) के अनुसार इसकी घटती प्रभावशीलता का प्रमुख कारण DLRC एवं DCC फोरम की संरचना तथा उद्देश्यों के बारे में जागरूकता की कमी बतायी गयी। यह भी देखा गया कि DLRC की बैठकों में मुख्य रूप से समय की कमी और जनप्रतिनिधियों की पूर्व व्यस्तताओं के कारण जनप्रतिनिधियों की भागीदारी का स्तर निचले स्तर पर रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, महाप्रबंधक ने कहा कि अग्रणी ज़िला मे अधिक स्पष्टता लाने की आवश्यकता है ताकि वे DLRC की बैठकों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके। उन्होने सभी स्टेकहोल्डेर्स से अनुरोध किया कि कृपया लीड बैंक योजना के तहत परिकल्पित DLRC की बैठकों के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित सलाह के साथ-साथ अपने क्षेत्र के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करें।	

उन्होने आगे एसएलबीसी बुकलेट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार कुछ क्षेत्रों की चिंताओं की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया:-

क्रम संख्या	मुद्दे/विषय	कृत कार्यवाही
01	दिसंबर 2021 की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार 6 जिलों में एफएलसी के रिक्त हैं। उन्होने बैंक ऑफ इंडिया से इन रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने हेतु अनुरोध किया।	बैंक ऑफ इंडिया
02	दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही में सीडी रेशियो 41.22% है, जो दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही में 42.43% से नीचे है। हालांकि इसमें सितंबर 2021 में 39.67% से मामूली सुधार हुआ है। केवल छह जिलों में सीडी रेशियो 40% से ऊपर है।	समस्त बैंक/एलडीएम
03	दिसंबर 2021 तिमाही के लिए 8.59% का उच्च सकल एनपीए भी चिंता का कारण है।	समस्त बैंक/एलडीएम
04	दिसंबर तिमाही की एसीपी (ACP) उपलब्धि के संदर्भ में सभी स्टेकहोल्डेर्स को सलाह दी कि Non Priority Sector के तहत एसीपी लक्ष्य को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत चालू वर्ष का एसीपी लक्ष्य पिछले वर्ष की एसीपी उपलब्धि से कम नहीं होनी चाहिए।	समस्त बैंक/एलडीएम
05	राज्य में बीसी की बढ़ती संख्या के विषय पर सभा का ध्यान आकर्षित करते हुये इनकी विशेष निगरानी हेतु सभी क्षेत्रीय बैंक प्रमुखों से अनुरोध किया गया।	समस्त बैंक/एलडीएम
06	राँची जिले में डिजिटल जिला कवरेज (Digital District Coverage) की प्रगति के तहत बैंकों को विशेष रूप से व्यवसाय के रूप में वर्गीकृत खातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता बतायी।	समस्त बैंक/एलडीएम

07	महाप्रबंधक ने जिला स्तर पर डीसीसी/डीएलआरसी की बैठकों मे विलंब के संबंध मे चिंता जाहीर की। एलडीएम को बैठकों की समयबद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि नवीनतम आंकड़ों पर चर्चा हो सके।	समस्त बैंक/एलडीएम

इस सम्बोधन के पश्चात झारखंड सरकार के योजना-सह-वित्त विभाग के विशेष सचिव श्रीमती दीप्ती जयराज को सभा को संबोधित करने हेतु आग्रह किया गया।

क्रम संख्या	मुद्दे/विषय	कृत कार्यवाही
01	भारतीय रिजर्व बैंक को राज्य में वित्तीय समावेशन एवं आंतरिक कार्य समूह (Internal Working Group) ने कृषि क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में सुधार के लिए दिये गए महत्वपूर्ण सुझाव हेतु धन्यवाद दिया ।	समस्त बैंक/एलडीएम
02	राज्य के बजट में पलाश ब्रांड को प्रोमोट करने के लिए विशेष प्रावधान करने की बात कही।	
03	Cluster Development Approach के संदर्भ में श्रीमती जयराज ने बताया कि इस विषय पर SIDBI के बात चल रही है तथा इसमें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से भी चर्चा की जा रही है। इस योजना को धरातल पर लाने के लिए निदेशक, उद्योग विभाग के साथ अगले महीने एक बैठक प्रस्तावित है।	
04	नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए 100 FPOs को ऋण प्रदान करने के लिए श्रीमती दीप्ती जयराज ने बैंकों से आग्रह किया। उन्होने आरबीआई द्वारा डीसीसी एवं डीएलआरसी मीटिंग को अलग-अलग करने की बात का समर्थन किया। उन्होने बताया कि इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा सभी जिला उपायुक्तों को पत्र भी लिखा गया है। यह मुद्दा विधान सभा में भी संज्ञान में लाया गया है।	
05	श्रीमती दीप्ती जयराज ने सभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों से अनुरोध किया कि वे जिला स्तर पर बैठकों में उठाए गए मुद्दों को एसएलबीसी के साथ साझा करें, जिससे एसएलबीसी की बैठक में चर्चा की जा सके। उन्होने लंबित सरफेसी मामलों के संदर्भ में सभा को जानकारी दी कि जिला स्तर पर जिला उपायुक्त के साथ इसकी समीक्षा की जा रही है।	
06	झारखंड जैसे राज्य में ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने के लिए बीसी की उपयोगिता का जिक्र करते हुये श्रीमती दीप्ती जयराज ने कहा कि बैंक बीसी के कार्यों को बैंक द्वारा उचित नियंत्रण की जरूरत है, जिससे बीसी स्तर पर फ्रॉड को नियंत्रित किया जा सके। उन्होने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि स्माल फ़ाइनेंस बैंक को एसएलबीसी की सभी बैठकों में जरूर आमंत्रित करें।	

इस सम्बोधन के पश्चात सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार से श्री अबूबक्कर सिद्दीकी को सभा को संबोधित करने हेतु आग्रह किया गया।

क्रम संख्या	मुद्दे/विषय	कृत कार्यवाही
01	श्री सिद्दीकी ने बताया कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी राज्य के सीडी रेशियो एवं प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रवाह हेतु चिंता जाहीर की गयी है। उन्होने कहा कि झारखंड में आर्थिक विकास की अपार संभावना है एवं बैंकों के लिए भी काफी अवसर उपलब्ध हैं। बैंक राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। उन्होने बैंकों से केसीसी के साथ-साथ अन्य कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होने कहा कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी सरकारी योजनाओं की सफलता के लिए बैंकों के सहयोग की आवश्यकता बताई।	समस्त बैंक/एलडीएम
02	श्री सिद्दीकी ने बताया कि राज्य में लगभग 30 लाख पंजीकृत पीएम किसान के लाभुक हैं, जिनमें लगभग 50% किसानों को राज्य के बैंकों द्वारा केसीसी जारी किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 मे विभिन्न बैंको मे केसीसी आवेदान सृजित किए गए। तथा बैंकों द्वारा चालू वित्त वर्ष मे लगभग 02 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए जो कि विगत वर्षो की तुलना मे सर्वाधिक है। हालांकि, कृषि सचिव ने बैंक शाखाओ मे लंबित आवेदनों के निस्तारण हेतु भविष्य मे समुचित कार्य योजना बनाने की आवश्यकता बतायी। इस संबंध मे ज़िला कृषि पदाधिकारी,अग्रणी ज़िला प्रबन्धक एवं बैंक शाखाओ का आपसी समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया।	समस्त बैंक/एलडीएम
03	लंबित केसीसी आवेदनों के निस्तारण हेतु कृषि सचिव ने राज्य सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने की जानकारी दी। ऑनलाइन पोर्टल की उपलब्धता के उपरांत राज्य के बैंक, एसएलबीसी,एलडीएम एवं राज्य सरकार को भी केसीसी आवेदनों की निगरानी में सहूलियत होगी। साथ ही साथ आवेदनकर्ता भी अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी पोर्टल द्वारा प्राप्त की जा सकती है। उन्होने बैंकों से आग्रह किया कि कोई भी केसीसी आवेदन बिना किसी वैद्य कारण के वापिस ना करें तथा किसानों को भी योजना की तमाम जानकारी प्रदान करें।	समस्त बैंक/एलडीएम
04	झारखंड कृषि ऋण माफी के संदर्भ में सचिव ने कहा कि ऋण माफी हेतु बैंकों द्वारा कुल 9.50 लाख मानक (Standard) केसीसी खातों में केवल 6 लाख केसीसी खातों को पोर्टल पर अपलोड किया गया है। उन्होने बैंकों से शेष बचे हुये केसीसी खातों को यथाशीघ्र पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा। उन्होने यह भी संभावना जताई कि इन बचे हुये केसीसी खातों में कुछ केसीसी खातों में आधार नहीं होंगे, कुछ केसीसी खाते एक ही परिवार के होंगे अथवा किसी अन्य कारण से केसीसी खाता पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पा रहे होंगे। उन्होने बैंकों से आग्रह किया कि उन्हे पोर्टल पर अपलोड नहीं होने वाले खातों की सूची कारण सहित तैयार करनी चाहिए।	समस्त बैंक/एलडीएम

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड

05	उन्होने एसएलबीसी से भी अनुरोध किया कि वे ऐसे सभी केसीसी खातों की जानकारी बैंकों से लेकर कृषि विभाग के साथ साझा करें। इससे राज्य सरकार को कृषि ऋण माफी के मद में राशि के प्रावधान में सुविधा हो सके तथा ऋणी को भी यह जानकारी मिल सकेगी कि उन्हे ऋण माफी का लाभ क्यों नहीं मिल सकता है? उन्होने सभा को जानकारी दी कि राज्य सरकार एनपीए केसीसी खातों में भी ऋण माफी देने पर विचार कर रही है। इस संबंध में सरकार शीघ्र ही बैंकों के साथ एक बैठक कर नीति तैयार करेगी।	समस्त बैंक/एलडीएम
06	श्री सिद्दीकी ने सभा को बताया कि कृषि ऋण माफी का लाभ प्राप्त कर चुके किसानों को राज्य सरकार एक प्रमाण-पत्र देगी। इसके लिए किसानों को, जिनका केसीसी लोन राज्य सरकार द्वारा माफ किया गया है, वे झारखंड कृषि ऋण माफी योजना पोर्टल (JKRMY Portal) पर अपना प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होने बैंकों से भी आग्रह किया कि वे अपने शाखाओं को इस संबंध मे जानकारी दें, जिससे कृषि ऋण माफी से संबन्धित शिकायतों में कमी आ सके तथा किसानों को उनका प्रमाण-पत्र मिल सके, जिससे उन्हे यह पता चल सके कि उनका कितना लोन माफ हुआ है।	समस्त बैंक/एलडीएम
07	श्री सिद्दीकी ने बैंकों से FPOs एवं Horticulture में फ़ाइनेंस करने के लिए भी अनुरोध किया। साथ ही साथ उन्होने बैंकों को सरकारी योजनाओं के फ़ाइनेंस में विशेष ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया, जिससे राज्य का सीडी ratio में सुधार किया जा सकता है तथा राज्य के गरीबों को भी मदद मिलेगी। अंत में, उन्होने सभा को राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुये कहा कि इन योजनाओं में सरकार द्वारा 25% से 90% तक अनुदान दिया जाता है, लाभूक द्वारा दिये जाने वाले अंशदान राशि को बैंक फ़ाइनेंस किए जाने का अनुरोध किया।	समस्त बैंक/एलडीएम

इस सम्बोधन के उपरांत एसएलबीसी के वरीय प्रबन्धक, श्री बिभव कुमार द्वारा एसएलबीसी बैठक के व्यवसायिक सत्र का संचालन किया गया, जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा एजेंडावार विभिन्न क्षेत्रों में बैंकों के प्रदर्शन पर चर्चा की गई।

अंत में, पंजाब नेशनल बैंक के उपमहाप्रबंधक श्री दीपक श्रीवास्तव ने एसएलबीसी की 78वीं बैठक में शामिल सभी स्टेक होल्डेर्स को धन्यवाद दिया। सभा का संचालन श्रीमती प्रियंका,प्रबन्धक, रा. स्त. बै. स द्वारा किया गया।

(बिक्रम केशरी मिश्र)
महाप्रबंधक, रा. स्त. बै. स.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BOI झारखण्ड